कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर, म.प्र.

//विनष्टीकृत रद्दी विक्रय हेतु निविदा आमंत्रण सूचना//

क्र. बुरहानपुर दिनांक

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय म.प्र. उच्च न्यायाल, जबलपुर के ज्ञापन क्र ए/7133/2024 जबलपुर दिनांक 01.10.2024 के आलोक में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, बुरहानपुर (म.प्र.) में विनष्टीकृत रद्दी के विक्रय बाबत सीलबंद लिफाफे में निविदाएं आमंत्रित की जा रही है, इच्छुक व्यक्ति/फर्म अपनी निविदांए सीलबंद कर कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर में आवक जावक शाखा में दिनांक 29.11.2024 को शाम 05.00 बजे तक प्रस्तुत कर सकते है। निविदाएं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर के नाम से प्रस्तुत की जावे। नियत दिनांक एवं समय के पश्चात व्यक्तिगत अथवा किसी भी प्रकार से प्राप्त होने वाली निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। यदि निविदा प्रस्तुति की अंतिम तिथि अथवा निविदा खोलने की तिथि को अवकाश घोषित होता है तो निविदा अगले कार्य दिवस पर निर्मित समिति द्वारा निविदाकर्ता/प्रतिनिधि के समक्ष खोली जावेगी। निविदा की शर्तें एवं फार्म माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाईट www.mphc.gov.in जिला न्यायालय बुरहानपुर की वेबसाईट www.dcourtbur@nic.in एवं www.tenders.gov.in पर उपलब्ध है जहां से निविदा प्रारूप एवं शर्तें डाउनलोड की जा सकती है अथवा फार्म नजारत अनुभाग, जिला एवं सत्र न्यायालय, बुरहानपुर से कार्य दिवस के दौरान कार्यालयीन समय में प्राप्त किया जा सकता है।

06.11.24

प्रभारी अधिकारी, अभिलेखागार अनुभाग
जिला न्यायालय, बुरहानपुर (म0प्र0)

निविदा की शर्ते

1. कार्यालयीन समय में विनष्टीकृत रद्दी के टुकडे करके विक्रय हेतु इच्छुक फर्म माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर (म.प्र.) या प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, बुरहानपुर की वेबसाईट से ऑनलाईन माध्यम से या निर्धारित प्रारूप रूपये 1000/– नगद जमा करके इस स्थापना के नजारत अनुभाग से प्राप्त कर इसकी पूर्ति कर सीलबंद लिफाफे में रिजिस्टर्ड डाक/हमदस्त नजारत अनुभाग, बुरहानपुर में दिनांक 29.11.2024 को शाम 05.00 बजे तक प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त होने वाली निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा, चाहे वह किसी भी माध्यम से प्रेषित की गयी हो।

2. वर्तमान में विनष्टीकृत रद्दी की मात्रा अंदाजन 1,500 किलोग्राम है। निविदाकर्ता द्वारा अभिलेखागार अनुभाग, बुरहानपुर में उपस्थित होकर रद्दी का अवलोकन किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है।

3. निविदा प्रस्तुत करने हेतु प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहनपुर के नजारत अनुभाग में रूपये 20,000/– अर्नेस्ट मनी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नाम से बैंक ड्राफ्ट से जमा करानी होगी। प्राथमिकता वाले चयनित निविदाओं को छोकर शेष निविदाकारों की अर्नेस्ट मनी वापिस कर दी जावेगी।

4. विनष्टीकृत रद्दी की पूर्व दरों को दृष्टिगत रखते हुए 20 रूपये प्रतिकिलो न्यूनतम निर्धारित की गयी है। उक्त राशि से कम राशि की निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। अधिकतम दर की निविदा एल–1 घोषित की जावेगी।

5. सफल निविदाकर्ता को रद्दी उठाने से पहले अनुमानित राशि का 80 प्रतिशत राशि डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से अथवा चालान के माध्यम से इस कार्यालय के नजारत अनुभाग में जमा करनी होगी।

6. इलैक्ट्रॉनिक टौल काटे की रसीद अनुसार शेष राशि तत्काल कैश में जमा करनी होगी।

7. दिनांक 30.11.2024 को दोपहर 03.00 बजे गठित समिति, बुरहानपुर के समक्ष समस्त निविदाकारों अथवा उनके प्रतिनिधि को आवश्यक रूप से उपस्थित होना होगा, ताकि सभी निविदाएं समक्ष में खोली जाकर अंतिम रूप से अधिकतम दर वाली समक्ष निविदाकार की निविदा स्वीकार करने की कार्यवाही की जावेगी।

8. विभागीय गठित समिति द्वारा ई–निविदा की प्रथम, द्वितीय, तृतीय वरीयता प्राप्त निविदायें खोली जाकर अंतिम रूप से उचित दर वाली सक्षम निविदाकार की निविदा स्वीकार करने की अनुशंसा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को प्रेषित की जावेगी तथा अनुमोदन उपरांत 10 कार्यदिवस में विनष्टिकृत रद्दी क्रय कर नहीं ले जाने पर प्रथम वरीयता प्राप्त निविदाकार का अवसर समाप्त कर अर्नेस्ट मनी राजसात करते हुए द्वितीय वरीयता प्राप्त तथा इसी क्रम में असफल रहने पर पुनः अर्नेस्ट मनी राजसात करते हुए तृतीय वरीयता प्राप्त

निविदाकार को विनष्टीकृत रद्दी क्रय कर ले जाने का अवसर प्रदान किया जावेगा।

9. विनष्टीकृत रद्दी को कार्यालय समय में स्वयं के व्यय पर टुकडे कर रद्दी प्राप्त कर समूची रद्दी बोरे में भरकर इलेक्ट्रॉनिक तौल अनुसार देय विक्रय मूल्य जमा करने का तत्काल उत्तरदायित्व निविदाकार का होगा, विनष्टीकृत रद्दी विक्रय होने व सम्पूर्ण राशि जमा पश्चात शेष द्वितीय एवं तृतीय वरीयता प्राप्त निविदाओं के निविदाकारों की अर्नेस्ट मनी वापिस की जावेगी। रद्दी के टुकडे करने व रद्दी के परिवहन का दायित्व क्रेता का रहेगा।

10. रददी को ले जाते समय अथवा उसका परिवहन करते समय न्यायालय परिसर में यदि किसी संपत्ति को नुकसान होता है तो उसका नुकसान क्रेता को करना होगा अन्यथा अर्नेस्ट मनी राजसात कर ली जावेगी।

11. स्वीकृत निविदाकार द्वारा निविदा की शर्तों का उल्लंघन करने पर अर्नेस्ट मनी शासनहित में राजसात की जाकर कोषालय में जमा करा दी जावेगी।

12. प्रशासकीय कारणों से उक्त ई–निविदा किसी भी समय व किसी भी प्रक्रम पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर के आदेश से निरस्त की जा सकेगी।

13 रद्दी की मात्रा 1,500 किलोग्राम से कम या अधिक हो सकती है इस संबंध में अंतिम वजन अनुसार रद्दी क्रय करना होगी। रद्दी की मात्रा कम या अधिक होने के आधार पर कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

14. नियंत्रणाधिकारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर उक्त ई–निविदा में विवाद के अंतिम निर्णायक होगे।

15. सफल निविदाकार द्वारा रद्दी उठाने के 07 दिवस में प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि प्राप्त रद्दी को रिसायकल कर दिया गया है व इसका दुरूपयोग नहीं किया गया है। उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर निविदाकार की अर्नेस्ट मनी वापस की जावेगी।

OPEN TENDER PROFORMA FOR WASTE PAPER DISPOSAL

1. Rate Quotation of the Tenderer..
2. Earnest money Rs 20,000/- (Rupees twenty Thousand Only) of Bank Name..................... Date................/MPTC Recept no........... date...................
3. PAN no................................... Enclose copy of current Income Tax Return.
4. GST no.......................... Enclose copy of live registration. (If Registered)
5. Previous Experience of Govt. waste paper disposal. (Attech copy of order)

The terms and conditios of the tender date..................... are acceptable to mu/us

Signature....................

Name & adress with Seal & Date.....................

....

....

....

....

Phne (O).....................

Fax.............................

(M)..............................

E-Mail...........................